

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
भू-अर्जन निदेशालय  
पटना, बिहार  
अधिधोषणा

दिनांक.....

पत्रांक.....

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-राजवाही हिस्सा-02 थाना-गोपालगंज थाना नं0-497 परगना-मझवां जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् गोपालगंज बेटिया के बिच गण्डक नदी पर पुल एवं पहुंच के निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर यानि बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिधोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम- राजवाही में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 13.87 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं0- निम्न प्रकार है।

अर्जनधीन भूमि का खेसरा नं0-

- 64 अंश, 62 अंश, 61 अंश, 60 पूर्ण, 59 अंश, 20 अंश, 21 अंश, 22 अंश, 23 अंश, 18 पूर्ण, 19 पूर्ण, 16 पूर्ण, 17 पूर्ण, 14 अंश, 15 अंश, 10 अंश, 11 अंश, 09 अंश, 08 अंश, 07 पूर्ण, 06 पूर्ण, 05 पूर्ण, 04 अंश, 03 अंश, 1205 अंश, 1204 अंश, 1201 अंश, 1202 अंश, 1195 अंश, 1138 अंश, 1139 अंश, 1137 अंश, 1136 अंश, 1135 पूर्ण, 1134 पूर्ण, 1133 पूर्ण, 1132 पूर्ण, 1131 पूर्ण, 1141 अंश, 1121 अंश, 1148 अंश, 1130 अंश, 1128 अंश, 1127 पूर्ण, 1125 अंश, 1126 अंश, 1142 अंश, 1143 अंश, 1144 अंश, 1150 अंश, 1151 अंश, 1152 अंश, 1153 पूर्ण, 1154 पूर्ण, 1155 अंश, 1157 अंश, 1158 अंश, 1159 पूर्ण, 1160 पूर्ण, 1161 पूर्ण, 1162 पूर्ण, 1163 अंश, 1164 अंश, 1187 अंश, 1198 अंश, 1199 अंश, 1095 अंश, 1096 पूर्ण, 1097 अंश, 1286 अंश, 787 अंश, 930 अंश, 931 अंश, 952 अंश, 994 पूर्ण, 993 पूर्ण, 995 पूर्ण, 991 अंश, 992 अंश, 929 अंश, 984 अंश, 954 अंश, 955 अंश, 956 अंश, 986 अंश, 987 अंश, 988 पूर्ण, 989 अंश, 996 अंश, 1281 अंश, 1284 अंश, 1283, पूर्ण, 1282 अंश, 1285 अंश, 990 अंश, 1205/2130 पूर्ण,

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी


- उत्तर - मौजा भोजली हीस्सा 2 थाना नं0-498 खेसरा 14 अंश, 15 अंश, 11 अंश, 10 अंश, 09 अंश, 08 अंश, 03 अंश, 04 अंश, 1205 अंश, 1204 अंश, 1202 अंश, 1287 अंश, 1164 अंश, 1163 अंश, 1153 अंश, 1151 अंश, 1150 अंश, 1144 अंश, 1138 अंश, 1137 अंश, 1099 अंश, 1095 अंश, 996 अंश, 992 अंश, 993 अंश, 990 अंश, 987 अंश, 986 अंश, 954 अंश, 956 अंश, 955 अंश, 1285 अंश, 1181 अंश, 1182 अंश,
- दक्षिण - खेसरा 64 अंश, 63 अंश, 62 अंश, 61 अंश, 59 अंश, 20 अंश, 21 अंश, 22 अंश, 23 अंश, 1195 अंश, 1196 अंश, 1199 अंश, 1198 अंश, 1187 अंश, 1157 अंश, 1156 अंश, 1155 अंश, 1185 अंश, 786 अंश, 787 अंश, 1142 अंश, 1141 अंश, 1139 अंश, 1130 अंश, 1128 अंश, 1125 अंश, 1127 अंश, 1121 अंश, 1099 अंश, 1098 अंश, 1097 अंश, 858 अंश, 929 पूर्ण, 930 अंश, 931 अंश, 954 अंश, 1286 अंश, 1284 अंश वो मौजा राजवाही हिस्सा नं0-1 थाना नं0-496

- पूरब - मौजा राजवाही हिस्सा नं0-1 थाना नं0-496
- पश्चिम - मौजा भोजली हीस्सा-02 थाना नं0-498

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, स्लेटो या अन्य खान खनिजो की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खान या खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है उनके निर्माण के लिए खोदना उपयोग में लाना हो तो ले लिए जायेगें।

यह अधिधोषणा भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध है। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
समाहता  
गोपालगंज।

सरकार के <sup>EO</sup> सचिव  
बिहार पटना  
क० पू० उ०

ज्ञापांक सं०-14/डी०एल०ए० गोपालगंज (पुल)-64/2012-.....६३१...../रा०, पटना-15, दिनांक-२३/०२/2013

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतियां को दो दैनिक समाचार पत्रों से जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट समाहरणालय शाखा, गोपालगंज को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की अतिरिक्त 10-10 प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं समाहर्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२३/०२/१३  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सुरकार के अवर सचिव।